न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 01/2021
3. उनवान : सरकार जरिये अजय कुमार त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर

आवेदक

बनाम

1. श्री राम स्वरूप चौधरी पुत्र भीवा राम वेंडर, रिफ्रेशमेंट स्टॉल, प्लेटफार्म नं. 2/3, रेलवे स्टेशन, फुलेरा C/O M/S N. Das & Company
   घर का पता –समोता का वास, काचरोदा, फुलेरा, जयपुर 303338

FBO

2. श्री नारायण दास S/O निहचलदास
   वेंडिंग कांट्रेक्टर M/S N. Das & Company रिफ्रेशमेंट स्टॉल, प्लेटफार्म नं. 2/3, रेलवे स्टेशन, फुलेरा
   घर का पता – 312, हाथीभाटा, अजमेर (राज0)-305001

Proprietor

3. M/S N. Das & Company
   रिफ्रेशमेंट स्टॉल, प्लेटफार्म नं. 2/3, रेलवे स्टेशन, फुलेरा, जयपुर 303338
   जरिये – श्री नारायण दास

Company

4. श्री भूपेन्द्र कुमार गुप्ता
   M/S A.R. Trading, Near Girls School, Halwai Bazar, Phulera, JAIPUR 303338

Supplier

4. निर्णय दिनांक : 23.04.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री मयंक गुप्ता अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 02 (ii), धारा 52 एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006, नियम 2011

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक श्री अजय कुमार त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर ने आवेदन पत्र जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii), धारा 52 के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.11.2017 को समय 10.30 बजे M/S N. Das & Company के रिफ्रेशमेंट स्टॉल, प्लेटफार्म नं. 2/3, रेलवे स्टेशन, फुलेरा पहुंचने पर FBO राम स्वरूप चौधरी S/Os राम वेंडर यात्रियों को बिक्री करने के लिए खाद्य पदार्थ तैयार कर रहे थे, बिक्री के लिए रखे हुये थे और बिक्री कर रहे थे। दौराने

अतिरिक्त (तृतीय) जयपुर

निरीक्षण रिफ्रेशमेंट स्टॉल में बिक्री के लिए रखा Packaged Drinking Water (Aglow) की गुणवत्ता में संदेह होने पर मौके पर फार्म VA पर नोटिस तैयार किया और प्लेटफार्म पर मौजूद यात्रियों को गवाही देने के लिए बुलाया लेकिन कोई भी यात्री गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ जिससे मेरे साथ मौके पर मौजूद श्री कैलाश लाल, एन्टी मलेरिया खलासी अधीन सी.एच. आई. जयपुर के हस्ताक्षर करवाये तथा FBO राम स्वरूप चौधरी को दिया तथा 16 bottle Packaged Drinking Water (Aglow) each bottle 01 लीटर वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा। लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं FBO राम स्वरूप चौधरी तथा गवाह कैलाश लाल के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग बाकी कागज के रेपर में लपेट कर चिपकाया और प्रत्येक भाग पर DO/NWR/Jaipur की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नं. NVR-424 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपका कर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर ऊपर, नीचे, दायें, बायें तथा गांठ पर मील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर FBO राम स्वरूप चौधरी तथा गवाह कैलाश लाल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लीप एवं रैपर दोनों पर आ जावे। स्वयं ने भी हस्ताक्षर किए। चारो नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट (पंचनामा) तैयार कर वेंडर रामस्वरूप चौधरी तथा गवाह कैलाश लाल को पढ़कर सुनाकर एवं समझ कर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे वेंडर राम स्वरूप चौधरी तथा गवाह कैलाश लाल ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही फार्म VI की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह सील लगाई जिससे नमूना सील किया था। एक नमूना भाग मय फार्म VI की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को श्री कैलाश बाल, एंटी मलेरिया खलासी अधीन सी.एच.आई. जयपुर द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म VI की प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी में सील मोहर कर थी कैलाश लाल, एंटी मलेरिया खलासी अधीन सी.एच.आई. जयपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म VI पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बंद नमूना भाग मय फॉर्म VI की दो प्रतियां एवं नमूना भाग IV प्रति मय फार्म VI की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर अभिहित अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर को श्री कैलाश लाल, एंटी मलेरिया खलासी अधीन सी.एच.आई. जयपुर द्वारा जमा की गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के पत्रांक मेड/एच/605 /एफ.एस.एस.ए/लैब रिपोर्ट/NWR–424 दिनांक 16.01.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट सं. L.S./2789/ Act/2017/ 2863 दिनांक 14.12.2017 के अनुसार FBO राम स्वरूप चौधरी द्वारा बिक्री किया जा रहा एवं बिक्री के लिए रखा हुआ Packaged Drinking Water (Aglow) वास्ते नमूना जांच मे मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded food) होना पाया गया। उक्त विश्लेषण रिपोर्ट की मूल प्रति एवं अग्रेषण पत्र श्री रामस्वरूप चौधरी को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा प्रेषित किया गया। उक्त खाद्य पदार्थ के सप्लायर, निर्माता के संबंध में जानकारी के लिए M/S N. Das & Company एवं M/S A-R-Trading को रजिस्टर्ड पत्र भेजे गए। कार्य की अधिकता, जांच में सहयोग न मिलने से अभियोजन के लिए समय सीमा बढ़ाने के लिए पत्र अभिहित अधिकारी जयपुर को लिखा गया पत्र एवं संयुक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर द्वारा समय सीमा बढ़ाने की स्वीकृति पत्र प्राप्त किया। उक्त खाद्य पदार्थ के सप्लायर, निर्माता का संबंध में जानकारी के लिए M/S N. Das & Company एवं M/S A-R- Trading को पुनः रजिस्टर्ड पत्र भेजे गए। उक्त S.N. Beverages Industries को सप्लायर, निर्माता के संबंध में जानकारी के लिए रजिस्टर्ड पत्र भेजे गए लेकिन इनके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गयी।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अन्त में निवेदन किया गया है कि उक्त केस में मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded food½ Packaged Drinking Water (Aglow) की बिक्री कर एवं बिक्री करने के लिए रख कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है।

न्यायालय में परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को असालतन/वकालतन अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मयंक गुप्ता ने वकालतनामा पेश किया। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि प्रतिवादी उक्त नमूना उत्पाद का केवल खुदरा विक्रेता और वितरक है, निर्माता नहीं। Misbranded Food के लिए निर्माता उत्तरदायी है। खाद्य सुरक्षा की धारा 26 व 27 और धार 80 डी के अनुसार प्रतिवादीगण पर कोई दायित्व नहीं बनता। मा0 उच्च न्यायालय राजस्थान के प्रकरण ओम प्रकाश नाटानी बनाम राजस्थान राज्य के मामले में "Best before within 12 months from the date of packaging" के बजाय "Best before 12 months from packaging" अंकित था। लेबल में 12 महीने के उपयोग के अलावा पैकेजिंग की तारीख का उल्लेख किया गया था। मा0 उच्च न्यायालय दिल्ली के प्रकरण दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन बनाम अमर चन्द में घोषणा की "the report has not been made and or signed on the date on which the analysis was done. The same principal would apply and in my view the report in the instant petition also lose its evidentiary value"

इसके अतिरिक्त धारा 43 के अनुसार Food Laboratory खाद्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसलिए हस्तगत प्रकरण में खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट का कोई साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं है क्योंकि राजकीय प्रयोगशाला खाद्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। कथित नमूने का विश्लेषण किसी भी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में नही किया गया। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाये।

उक्त के जवाब में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि भुपेन्द्र कुमार गुप्ता ने M/S S.N. Baverage Industries रींगस द्वारा जारी बिल GST 12 दिनांक 15–10–2017 प्रस्तुत किया है लेकिन यह बिल M/s kishan Ji Gupta फुलेरा को S.N. Beverage द्वारा जारी किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त सं0 1 ता 4 तक ने S. N. Beverage Industries& से PACKAGED DRINKING WATER AGLOW खरीद करने का कोई बिल प्रस्तुत नही दिया है । खाद्य विश्लेषक राजस्थान, जयपुर ने FSSA 2006 के प्रावधानों के अनुसार खाद्य नमूनों का विश्लेषण किया है और FSSA 2006 की धारा 3(1)(ZF)(c)(i) 2011 एवं FSS (Packaging and labelling) Regulation 2011 एवं Regulation 2.2.2(10) का उल्लंघन पाये जाने पर मिसब्राण्ड घोषित किया है। अभी तक मिसब्राण्ड के संबंध में FSSA 2006 एवं FSS (Packaging and labelling) Regulation 2011 में कोई संशोधन नहीं हुआ है। इसलिए इसके सभी प्रावधान लागू है। खाद्य प्रयोगशाला FSSA द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा खाद्य विश्लेषकों को FSSA 2006 की धारा 45 के प्रावधानों के अनुसार सरकार राजस्थान सरकार द्वारा नोटिफाईड किया गया है। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत तथ्य राजस्थान राज्य से संबंधित है। यह प्रकरण रेलवे से संबंधित है। अतः अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब खारिज फरमाया जाये।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। पैरोकार सरकार ने दौराने बहस आवेदन पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रकरण में मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded food½ Packaged Drinking Water (Aglow) की बिक्री कर एवं बिक्री करने के लिए रखा हुआ था जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने मा0 उच्च न्यायालय राजस्थान के प्रकरण ओम प्रकाश नाटानी बनाम राजस्थान राज्य के दृष्टांत का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रकरण में "Best before within 12 months from the date of packaging" के बजाय "Best before 12 months from packaging" अंकित होने से Misbranded Food की श्रेणी में नहीं आता। साथ ही धारा 43 के अनुसार नमूना विश्लेषण Food Laboratory खाद्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए किन्तु हस्तगत प्रकरण में खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट का कोई साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं है क्योंकि राजकीय प्रयोगशाला खाद्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। अतः आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावे।

जिसके प्रत्युत्तर में पैरोकर सरकार ने कथन किया कि खाद्य प्रयोगशाला FSSA द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा खाद्य विश्लेषकों को FSSA 2006 की धारा 45 के प्रावधानों के अनुसार सरकार राजस्थान सरकार द्वारा नोटिफाईड किया गया है। दौराने निरीक्षण जो बिल प्रस्तुत किया है लेकिन यह बिल M/s kishan Ji Gupta फुलेरा को S.N. Beverage द्वारा जारी किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त सं0 1 ता 4 तक ने S. N. Beverage Industries& से PACKAGED DRINKING WATER AGLOW खरीद करने का कोई बिल प्रस्तुत नही किया है ।

हमने आवेदन पत्र, जवाब प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तोवजात का अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट सं. L.S./2789/ Act/2017/ 2863 दिनांक 14.12.2017 में FBO राम स्वरूप चौधरी द्वारा बिक्री किया जा रहा एवं बिक्री के लिए रखा हुआ Packaged manufatrurer Drinking Water (Aglow) वास्ते नमूना जांच मे मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded food) होना अंकित है। साथ ही अप्रार्थी विक्रेता एवं सप्लायर ने मौके पर जो बिल प्रस्तुत किया है वह किसी अन्य व्यक्ति के नाम से है, निर्माता (manufatrurer) का बिल नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 27(3) के अनुसार मिथ्याछाप खाद्य (Misbranded food) हेतु विक्रता जिम्मेदार है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन किया है। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में दोषी पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अप्रार्थीगण को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक पर अलग–अलग क्रमशः 5000 रुपये (अक्षरे पांच हजार रुपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थीगण द्वारा शास्ति राशि जरिये चालान जमा कराई जाकर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय),जयपुर